

प्रेसनोट दिनांक 22.06.2022

1. दिनांक 21.06.22 को वादी श्री फूलचन्द मिश्रा पुत्र बाम्बे नि० आदर्शनगर थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि घनश्याम मिश्रा पुत्र जगमोहन नि० कलिहन का पुरवा थाना परसपुर गोण्डा अभि० द्वारा कराये जा रहे कार्य को रोक देना तथा गाली व जान माल की धमकी देते हुए पैसे की मांग करना जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 489/22 धारा 385, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 21.06.22 को वादी श्री दीपक पाल पुत्र प्रदीप नि० आवास विकास कालोनी थाना को०नगर बस्ती द्वारा सूचना दिया गया कि भोला यादव पुत्र अज्ञात पता अज्ञात अभि० द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 219/22 धारा 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 21.06.22 को वादी उ०नि० श्री विकास कुमार थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश सिंह पुत्र भगवान बक्श सिंह नि० मोहिउद्दीनपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तलवार नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 298/22 धारा 4/25 व 5/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 21.06.22 को वादी उ०नि० श्री शमशद अली थाना रौनाही द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अखसार 2. इब्रार उर्फ लंगड़ कुरैशी पुत्रगण छुट्टन नि० व थाना रौनाही अयोध्या व 02 अन्य नाम पता अज्ञात अभि०गण के कब्जे 30 कि०ग्रा० गो मांस व काटने के उपकरण बरामद होना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 205/22 धारा 3/5/5ख/8 गोवध निवा० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 21.06.22 को वादी उ०नि० श्री मिथिलेश कुमार चौहान थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संतोष सिंह पुत्र सूर्यबक्श नि० मैनुद्दीनपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 08 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 243/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 21.06.22 को वादी उ०नि० श्री दिवाकर थाना बीकापुर द्वारा सूचना दिया गया कि विनय कुमार पुत्र कालीचरण नि० बीकापुर अयोध्या अभि० द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 244/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो०स० क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 21.06.22 को वादी उ०नि० श्री दिवाकर थाना बीकापुर द्वारा सूचना दिया गया कि सुबेदार पुत्र जमुना नि० तेदुआ माफी थाना को०बीकापुर अयोध्या अभि० द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 245/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो०स० क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 21.06.22 को वादी उ०नि० श्री शशिकान्त पटेल थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश कुमार पुत्र श्रीराम नि० बीकापुर अयोध्या अभि० द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 246/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो०स० क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 21.06.22 को वादी उ०नि० श्री शशिकान्त पटेल थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि प्रमोद कुमार पुत्र रामतेज नि० बीकापुर अयोध्या अभि० द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 247/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो०स० क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विकास पुत्र मोहनलाल नि0 निधियांवा थाना को0बीकापुर अयोध्या अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 248 / 22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
11. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश पुत्र जमुना नि0 मोतीगंज थाना को0बीकापुर अयोध्या अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 249 / 22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना को0बीकापुर द्वारा सूचना दिया गया कि जावेद पुत्र जागीर नि0 व थाना बीकापुर अयोध्या अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 250 / 22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना को0बीकापुर द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू पुत्र अब्दुल्ला नि0 चौरेबाजार थाना को0बीकापुर अयोध्या अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 251 / 22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
14. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री अमर बहादुर पटेल थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि नंद किशोर पुत्र अमन नि0 केरालाल खां थाना हैदरगंज अयोध्या अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 143 / 22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
15. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अफजल पुत्र इरशाद नि0 आगागंज थाना तारून अयोध्या अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 164 / 22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
16. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आदित्य पुत्र दिलीप नि0 पारागरीब शाह थाना तारून अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद तमंचा व 01 अदद कारतूस 32 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 166 / 22 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
17. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना इनायतनगर द्वारा सूचना दिया गया कि ढाबा का मालिक नाम पता अज्ञात अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 280 / 22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
18. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर, अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजपूत ढाबा का मालिक नाम पता अज्ञात अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 281 / 22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
19. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेन्द्र मौर्या पुत्र नकछेद नि0 तोर का पुरवा थाना खण्डासा अयोध्या अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 154 / 22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना कुमारगंज द्वारा सूचना दिया गया कि इम्तियाज अली पुत्र मुख्तार अहमद नि0 बवां थाना कुमारगंज अयोध्या अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 155/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री अविनाश चन्द थाना को0रुदौली द्वारा सूचना दिया गया कि ओमबाबू पुत्र दिनेश कुमार नि0 नयागंज थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 271/22 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

22. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर यादव थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आस मोह0 पुत्र इस्माइल नि0 साहपरी थाना मवई अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 273/22 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

23. दिनांक 21.06.22 को वादी उ0नि0 श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वेलकम ढाबा का मालिक नाम पता अज्ञात अभि0 द्वारा दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 118/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो0स0 क्षति नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।